न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 88/2018

1 भैरूलाल मीणा आयु 60 वर्ष पुत्र लादुराम जाति मीणा निवासी भराला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रूघनाथ सिंह आयु 70 वर्ष पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भराला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 उप पंजियक अधिकारी उप पंजियक कार्यालय नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 16.08.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान प्रकरण संख्या 321/2018 शीर्षक रूघनाथ सिंह बनाम भैरूलाल मीणा आदि अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री श्रवण कुमार झाझड़िया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रताप सिंह चौहान, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः— 01.11.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 321/2018 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने भूमि खसरा नम्बर 341,344,345 वाके ग्राम भराला तहसील नीमकाथाना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र विचाराधीन आदेश से स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी ने विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज सभी सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया है। अपीलांट रिकार्डेड खातेदार से हिस्सा क्रय किया है। विचाराधीन आदेश के कारण अपीलांट का नामान्तकरण दर्ज नही हो रहा है। प्रार्थी विवादित भूमि में केवल 1/20 हिस्से का खातेदार है। विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण रकबे पर विचाराधीन आदेश से स्थगन पारित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। विभाजन से पूर्व अपीलांट जो कि अजनबी केता है विवादित भूमि में प्रवेश नही कर सकता है। विभाजन से पूर्व अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा करने की स्थिति में प्रार्थी रेस्पोडेंट को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। विभाजन से पूर्व अपीलांट जो कि अजनबी केता है विवादित भूमि में प्रवेश नही कर सकता है। विभाजन से पूर्व अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा करने की स्थिति में प्रार्थी रेस्पोडेंट को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर